



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234993
CG-DL-E-08042022-234993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944

No. 101]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

सं.आरएस.1/1/2022-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2022 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूँ।

8 अप्रैल, 2022

ह./-

राष्ट्रपति।"

पी. सी. मोदी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2022

No. RS.1/1/2022-L.—The following Order by the President dated the 8th April, 2022 is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by sub- clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

April 8, 2022

Sd/-

PRESIDENT"

P. C. MODY, Secy.-General